


**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**  
**कार्यालय आदेश**

राजस्थान सिविलसेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (वाणिज्य/इतिहास) को राज्य सेवामें/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 7में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिलाशिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 10में अंकित तिथि से आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है


क्र स	नाम व्याख्याता मय पदस्थापनस्थान (राजमावि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथमनियुक्ति तिथि	व्या. मेंचरान का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतनबेण्ड/ पे मैट्रिक्स	स्वीकृत ग्रेडवेतन /पेमेंट्रि कालेब सन	स्वीकृति ति थि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सूरजमल रैगर किशनगढ रैनवाल-जयपुर	वाणिज्य	13.06.59	12.09.85 अ.	डीपीसी	III 30 वर्ष	9300-34800	5400	12-09-15

उपरोक्त व्याख्याता का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

  
(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.  
निदेशक,  
माध्यमिकशिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

- क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/एसीपी/2020  
प्रतिलिपिनिम्नांकितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषितहै-
- 01-संबंधितउपनिदेशक, माध्यमिकशिक्षा,.....
  - 02-संबंधितजिलाशिक्षा अधिकारी (मा0-I/II).....
  - 03-सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटरअनुभाग, कार्यालय-हाजाकोविभागीय वेबसाईटपरप्रकाशनार्थ
  - 04-संबंधितसंस्थाप्रधानराजमावि .....
  - 05-संबंधितकार्मिक .....
  - 06-निजी/रक्षितपत्रावली

दिनांक :- 13.01.2021

  
संयुक्तनिदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिकशिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर